तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण।
(2) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ल0 4

निर्णय

दिनांकः 21–11–19

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 18–8–2006 अपील सं0 92/2006 बउनवान वेदप्रकाश बनाम दिगम्बर के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा एक रेफरेन्स दिनांक 18–2–1993 को राजस्व मण्डल में प्रतिप्रेषित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 999 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2003 में गैर मुमकिन कब्रिस्तान (मकबूजा अहले इस्लाम) दर्ज रेकार्ड थी। सम्वत् 2019 में उक्त आराजी में से 13 बिस्वा का इन्तकाल सं0 936 किशनलाल पुत्र लोहरे के नाम अंकन किया गया जो कि निरस्तनीय है। उक्त वादग्रस्त आराजी जरिये इन्तकाल सं0 968 लहिरे पुत्र टूण्डे के खातेदारी में दर्ज की गई जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2003 में गै0मु0 कब्रिस्तान दर्ज है। अतः उक्त नामान्तकरण निरस्त कर पुनः पूर्व में हुए इन्द्राजात को बहाल रखा जावें। राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19–2–1997 एवं 8–2–1994 से प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को गै0मु0 कब्रिस्तान दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थी द्वारा धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी को इसी अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया जो कि उनके द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 18–8–2006 से निरस्त कर दिया जिस निर्णय दिनांक 18–8–2006 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी / एल.आर. / 8158 / 2008 / जोधपुर
मानसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में आराजी को अहले इस्लाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थी को स्वीकृत नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो कि राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में प्रतिपादित निर्णय दिनांक 8–2–1994 एवं 19–2–1997 के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। उक्त निर्णय में राजस्व मण्डल द्वारा सम्वत् 2003 की जमाबन्दी में हुए इन्द्राजात के आधार पर वादग्रस्त आराजी को दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे एवं उक्त बाबत अंकन राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट के दौरान बदल दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका में भी वादग्रस्त आराजी के बाबत् राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये हुए हैं। अतः उक्त आदेश की आड़ में किसी भी प्रकार का बेचान इत्यादि गलत इन्द्राजों के आधार पर अवैद्यानिक है। दानसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 2677, 2685 दिगम्बरसिंह को दिनांक 24–6–2006 को बेचान किया है जो कि अवैद्यानिक है। शेष आराजी खसरा नं0 2681, 2682, 2683 जो कि बाबूलाल के खातेदारी में दर्ज है, मण्डल के निर्णय के अनुसरण में गै0मु0 कब्रिस्तान दर्ज किये जाने योग्य है जिनका अवैद्य रूप से बेचान किया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर बयनामें की आड़ में निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका रिपोर्ट दिनांक 24–7–2006 में हाल खसरा नं0 2677 पर निर्माण कार्य किया जाना स्पष्ट है। आक्षेपित निर्णय की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी शुरू से ही कब्रिस्तान के काम में ली जा रही है। गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावें।	

निगरानी / एल.आर. / 8158 / 2008 / जोधपुर
मानसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार ने निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से निगरानी काबिल खारिज योग्य है। 6– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 7– विद्वान जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18–8–2006 में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 88 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत है । प्रार्थी के द्वारा साबिक आराजी 999 मिन को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कब्रिस्तान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना की गई है प्रार्थी के द्वारा हलेस्लाम हेतु कोई अधिकृत व्यक्ति होने का प्रमाण पेश नहीं किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रार्थी को अधिकृत नहीं किया है । प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन कब्रिस्तान की आराजी को वक्फ बोर्ड (अहलेस्लाम) दर्ज किया जाना उचित नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के द्वारा साबिक आराजी खसरा नंबर 999 मिन रकबा 13 बिस्वा हाल नंबर 2678/0.11 को मौके की स्थिति अनुसार कब्रिस्तान दर्ज किया जाना स्वीकार किया है । शेष नम्बरान साबिक आराजी खसरा नंबर 999 मिन रकबा 13 बिस्वा शेष बने होने बाबत मिलान क्षेत्रफल भी प्रार्थी के द्वारा पेश नहीं किया है । अभिभाषक अप्रार्थी के कथन से सहमत है कि प्रार्थना पत्र धारा 88 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत चलने योग्य नहीं रहता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी गै0मु0 कब्रिस्तान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 8–2–1994 से दर्ज राजस्व रेकार्ड है तथा आराजी की बाबत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में भी प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 88 भू–राजस्व अधिनियम चलने योग्य नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में	

निगरानी / एल.आर. / 8158 / 2008 / जोधपुर

मानसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18-8-06 द्वारा प्रार्थना-पत्र विधिसम्मत खारिज किया है । 8 फलस्वरुप निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-8-2006 रखा जाता है। 9- पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य	